UPAU010049562019

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया**

सिविल रिवीजन संख्या–23/2019

**कश्मीर सिंह बनाम कृपाराम आदि**

**दिनांकः–18.02.2026**

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर न्यायालय में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र –32 ख पर सुना गया।

2. प्रार्थी/रिवीजनकर्ता कश्मीर सिंह द्वारा रिवीजन के फोरमेट में संसोधन इनकारपोरेट किये जाने हेतु संशोधन प्रार्थनापत्र–32 ख प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी/रिवीजनकर्ता कश्मीर सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र–32 ख न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके रिवीजन में विरासत आवेदन स्वीकार होने के उपरान्त रिवीजन के फोरमेट में संशोधन यथास्थान कराया जाना न्यायहित में जरूरी है जिस हेतु परमीशन का आदेश बहस के पूर्व किया जाना न्यायहित में परमावश्यक एवं जरूरी है। अतः यथास्थान आवेदन विरासत स्वीकार के बाद संशोधन कराये जाने की बहस पूर्व अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का गहन परिशीलन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताण को सुना गया।

5. **सिविल प्रक्रिया संहिंता, 1908 के आदेश 22 नियम 4(1) में** यह उल्लेखित किया गया है कि (1) जहाँ दो या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी के या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा नहीं रहता है या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहाँ उस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवाएगा और वाद में अग्रसर होगा।

6. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है**

**(i)** Sandeep Polymers (P) Limited V. Bajaj Auto Limited & Ors., (2007) 7 SCC 148, Amendment Application can be moved at any stage of the proceedings, even at the appellate stage

**(ii )**In Chander Kanta Bansal V. Rajinder Singh Anand, AIR 2008 SC 2234, **the Hon'ble Apex Court held t**hat amendment may be allowed

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.02.18 16:37:27 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1,Auraiya

liberally but it should not cause injustice or prejudice of an irremediable nature to the other party under the pretence of amendment.

**7.** पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र रिवीजन में विरासत आवेदन स्वीकार होने के उपरान्त रिवीजन के फोरमेट में संशोधन यथास्थान कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को रिवीजन में विरासत आवेदन करने के उपरान्त रिवीजन के फोरमेट में संशोधन की अनुमति प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है क्योंकि किसी भी वाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए। रिवीजन के फोरमेट में संशोधन करने पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव विपक्षी पर नहीं पड़ता है। यह विधि में सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय फोरमेट में संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकता है अगर किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा हो तो। इस प्रकरण में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि फोरमेट के संशोधन से विपक्षीगण के अधिकारों का हनन हो रहा हो। उपरोक्त वांछित संसोधन सामान्य प्रकृति का है तथा सिविल प्रक्रिया संहिंता, 1908 में उल्लेखित आदेश 22 नियम 4(1)के तहत है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 32 ख स्वीकार किया जाता है तथा संशोधन की अनुमति दी जाती है।

**8.** उपरोक्त चर्चा के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि प्रार्थना पत्र 32 ख न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/रिवीजनकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 32 ख, **सिविल रिवीजन संख्या–23 सन 2019**, (सौ रूपये) 100/– रूपये के हर्जे पर न्याय हित में स्वीकार किया जाता है तथा संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 10.03.2026 को पेश हो।

( पारूल जैन )
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम
औरैया।